विशेष वाहक द्वारा

संख्या:-111/2015/2880/14-1-2015/300(12)/99

प्रेषक,

आर0वी0 सिंह,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
पेंशन निदेशालय,
इन्दिरा भवन,
लखनऊ।

वन अनुभाग-1 लखनऊ दिनांक 16 नवम्बर, 2015

विषय:- श्री अतिबल सिंह, भा0व0से0, मुख्य वन संरक्षक, कार्यालय प्रमुख वन संरक्षक, उ0प्र0, लखनऊ के पेंशन प्रपत्रों को भेजा जाना।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक प्रमुख वन संरक्षक, उ0प्र0, लखनऊ के पत्र संख्या:-ई0शा0-450/1-648, दिनांक 29 अक्टूबर, 2015 (छायाप्रति संलग्न) का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से श्री अतिबल सिंह, भा0व0से0, मुख्य वन संरक्षक, कार्यालय प्रमुख वन संरक्षक, उ0प्र0, लखनऊ अपनी 60 वर्ष की अधिवर्षता आयु पूर्ण कर दिनांक 30-11-2015 को सेवानिवृत्त होंगे, के पेंशन प्रपत्र 03 प्रतियों में संलग्न कर उपलब्ध करायें गये हैं।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रमुख वन संरक्षक, उ0प्र0, लखनऊ के उक्त पत्र दिनांक 29 अक्टूबर, 2015 द्वारा श्री अतिबल सिंह, भा0व0से0 के सम्बन्ध में उपलब्ध कराये गये निम्न प्रपत्र तीन प्रतियों में आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न कर प्रेषित किये गये हैं:-

(1) फार्म संख्या-5
(2) अधिकारी एवं उनकी पत्नी के नमूने हस्ताक्षर
(3) अधिकारी एवं उनकी पत्नी की ऊचाई एवं पहचान चिन्ह
(4) अधिकारी एवं उनकी पत्नी की संयुक्त फोटो
(5) परिवार का विवरण।
(6) पेंशन ग्रेच्यूटी हेतु स्वीकृति पत्र
(7) फार्म संख्या-6
(8) पेंशन राशिकरण हेतु आवेदन पत्र-डी
(9) फार्म संख्या-9
(10) अदेयता प्रमाण पत्र
(11) विगत पांच वर्षो का अदेयता प्रमाण पत्र
(12) सेवा इतिहास
(13) अन्तिम दस माहों का औसत वेतन विवरण
(14) भवन अग्रिम हेतु अदेयता प्रमाण पत्र

http://shasanadesh.up.nic.in

अतः उक्त के दृष्टिगत श्री अतिबल सिंह, भा0व0से0 को पेंशन स्वीकृत किये जाने के सम्बन्ध में नियमानुसार कार्यवाही करने का कष्ट करें।

संलग्नकः यथोपरि।

भवदीय,

(आर0वी0 सिंह)
उप सचिव।

संख्याः-2880(1)/14-1-2015तद्दिनांक

प्रतिलिपि श्री अतिबल सिंह, भा0व0से0, मुख्य वन संरक्षक, कार्यालय प्रमुख वन संरक्षक, उ0प्र0, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।

आज्ञा से,

(आर0वी0 सिंह)
उप सचिव

http://shasanadesh.up.nic.in